CNR No. UPSL060009472026
न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0)/जे0 एम 0, सम्भल स्थित चन्दौसी।

मुकदमा अपराध संख्या-60/2026

सरकार बनाम जीतपाल।

08.05.2026

मुकदमा अपराध संख्या-60/2026, धारा-115(2), 352, 351(3), 110 भारतीय न्याय संहिता, थाना कैलादेवी, जिला सम्भल के मामले में यह प्रार्थनापत्र वास्ते जमानत अभियुक्त **जीतपाल पुत्र गंगाराम** के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है। कथन किया गया है कि प्रार्थी को झूठा रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है तथा जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त पर जिस अपराध का अभियोग है वह अजमानतीय तथा माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने का कथन किया है तथा जमानत का विरोध किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त दिनांक 07.05.2026 से जिलाकारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त पर जिस अपराध का अभियोग है वह अजमानतीय है तथा माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **जीतपाल पुत्र गंगाराम** का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(दिव्या गर्ग)
सिविल जज (जू0 डि0)/ जे0 एम 0,
सम्भल स्थित चन्दौसी।
J.O. Code-UP 4672